

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख. 11 फरवरी, 2022

का.आ. _____(अ).- केंद्रीय सरकार, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 333(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 के तहत सीमित दायित्व भागीदारी के लिए प्रयोज्य, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 17 के अधीन इसमें विहित शक्तियों और कार्यों को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी स्थित प्रादेशिक निदेशकों को इस शर्त के अधीन एतद्वारा प्रत्यायोजित करती है कि केंद्रीय सरकार का मत हो कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक होगा तो उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रतिसंहरण कर सकती है या स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 01/03/2021-सीएल-V भाग-III]

के.वी.आर. मूर्ति
11/2/2022

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section (ii)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the ^{11th} February, 2022

S.O. ...(E). — In exercise of the powers conferred by section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), applied to the limited liability partnership vide notification number G.S.R. 333 (E), dated the 29th April, 2015, the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Guwahati, the powers and functions vested in it under section 17 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

2. This notification shall come into force with effect from 01st April, 2022.

[F. No. 01/03/2021-CL.V-Part III]


11/2/2022
K.V.R. MURTY, Jt. Secy.